

महत्वपूर्ण/फैक्स/ई-मेल

सेवा में,

1—समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: रा०प०नि०/१६०० /सर्वोच्च न्या०(०२)/२०१४-१५ दिनांक ०८ अक्टूबर, २०१४
विषय: “स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान” के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवं बालिका शौचालयों की उपलब्धता एवं प्रयोगहीन शौचालयों को प्रयोग योग्य बनाने एवं विद्यालय भवनों की रंगाई/पुताई तथा परिसर सौन्दर्यीकरण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की “स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत” वेबसाइट पर डायस 2013-14 के आधार पर जनपद एवं विद्यालयवार बालक/बालिका विहीन शौचालय एवं प्रयोगहीन बालक/बालिका शौचालयों की सूची उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आपके जनपदों में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं जिला समन्वयक द्वारा सूची को सत्यापित किया गया है। सत्यापित सूची की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/समन्वयक को इस आशय के साथ उपलब्ध कराई गई है कि आप अपने स्तर से पुनः स्थलीय सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लें कि क्या वास्तव में सूचीबद्ध विद्यालय शौचालय विहीन अथवा प्रयोगहीन है? स्थलीय सत्यापन कर सत्यापित सूची एक सप्ताह के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सत्यापित सूची के अनुसार सर्वप्रथम अपने जनपद के प्रयोगहीन शौचालयों को विद्यालय अनुरक्षण अनुदान मद का उपयोग कर प्रयोगार्थ तैयार करें, यह सुनिश्चित हो ले कि आपके जनपद का कोई भी विद्यालय बालिका एवं बालक शौचालय विहीन न रहे तथा समस्त शौचालय प्रयोग हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यालयों में “विद्यालय अनुरक्षण अनुदान” मद का उपयोग विद्यालयों की, रंगाई-पुताई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। इस हेतु विद्यालय भवनों के बाह्य दीवारों के रंग का संयोजन निम्नवत् होगा।


क्र० सं०	विद्यालय का प्रकार	रंग संयोजन
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	दीवारों पर सफेद रंग की पुताई तथा डोर बैण्ड की ऊंचाई पर बाहरी दीवार के चारों ओर 6" चौड़ाई वाली हरे रंग की पेन्ट से निर्मित पट्टी
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	दीवारों पर सफेद रंग की पुताई तथा डोर बैण्ड की ऊंचाई पर बाहरी दीवार के चारों ओर 6" चौड़ाई वाली लाल रंग की पेन्ट से निर्मित पट्टी

उक्त के अतिरिक्त समस्त विद्यालय भवनों में सर्व शिक्षा अभियान—आर०टी०ई० का लोगो (मोनोग्राम) अनिवार्यतः पेंट से बनाया जाए। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय भवनों की रंगाई-पुताई अधिकतम रूपये 5000/- तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय भवनों की रंगाई-पुताई अधिकतम रूपये 7000/- की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाए। ऐसे विद्यालय भवन जिनमें निर्धारित डिजाइन से अधिक कक्षा-कक्ष/अतिरिक्त कक्ष हो, हेतु प्रति कक्ष रूपये 1000/- (रु० १००० एक हजार मात्र) की दर से अतिरिक्त धनराशि की मांग विद्यालय द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड अथवा जनपद से की जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति जनपद/विकासखण्ड द्वारा उनके

प्रबन्धन मद से की जाएगी। इस कार्य में विद्यालय प्रबन्धत समिति/समुदाय का सहयोग भी प्राप्त कर लिया जाए। उक्त के अतिरिक्त आपके जनपद को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014-15 में यदि बालिका शौचालयों की स्वीकृति प्राप्त हुयी है तो तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्य माह नवम्बर, 2014 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रारम्भ करायें, साथ ही यदि पूर्व वर्षों के निर्माणाधीन शौचालय हैं तो माह दिसम्बर, 2014 तक अनिवार्य रूप से शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करें।

उक्त समस्त कार्य विशेष अभियान के रूप में चलाकर विलम्बतम 20 दिसम्बर, 2014 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर लिए जाएं। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छता पर प्रतिदिन छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें स्वच्छता के सम्बन्ध में सम्यक ज्ञान प्रदान किया जाए।


कृपया कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

 (राधिका झा)
 राज्य परियोजना निदेशक
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृष्ठ ०५० राज्य परियोजना / १६०० / सर्वोच्च न्यायालय (02) / 2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेश, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (राधिका झा)
 राज्य परियोजना निदेशक
 उत्तराखण्ड, देहरादून।